फर्द अहकाम

(नियम 26)

अंज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम:– नसीराबाद

कौशल्या बनाम होटू

किस्म मुकदमा :– 188 उ.प्र.राज0 काश्त0 अधि0 1955 प्रकरण संख्या 37 सन् :–2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.4.21	अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियकें नोटिस लतब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद 25.5.21 **बार एसोसिएशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 19.7.21 को पेश हो।** **आदेशानुसार** **रीडर**	1448-50 6/4/21 25/5/21
18.6.21	अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना वादित वाद विड्रो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में आपसी रंजिश के कारण है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है पत्रावली तलब की गयी वादी के प्रतिवादी कॉलम 1 के निवेदन पर वाद विड्रो कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।	होटू

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested